न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 07/2017

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र मंगला, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. आंचूकी देवी पत्नी हनुमान, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. कैलाण पत्र कल्याण सहाय
3. हणमान पुत्र झूथा
4. बाबूलाल पुत्र झूथा
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र झूथा
6. गोविन्दा पुत्र रामनाथ
7. श्रवण पुत्र लादूराम

   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. लैण्ड होल्डर, जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
9. ओ0बी0सी0 बैंक शाखा चौमूं जिला जयपुर।
10. यूको बैंक शाखा चौमूं, जिला जयपुर ।
11. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा कालाडेरा, जिला जयुपर ।
12. यू.टी.आई. बैंक शाखा अशोक मार्क जयुपर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 04.03.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1591/2536 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1596 रकबा 1.80 हैक्टेयर किरम बारानी–2 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.53 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त भूमि ही प्रार्थी की जीविका–पार्जन का एकमात्र साधन है।

प्रार्थी के उक्त भूमि में रिहायशी मकानात बने हुए है, प्रार्थी के पास उक्त भूमि तक पहुंचने का मुख्य सड़क से कोई रास्ता नही है, जिस कारण प्रार्थी अपनी भूमि तक आमदरफत नही कर सकता उसके परिवार को बाहर से अन्य लोगो के खेत में से पैदल जाना पड़ता है, कभी–कभी परिवार के बिमारी की स्थिति में गाडी भी उक्त भूमि तक नही जा सकती है। इस कारण कई बार रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी के परिवार पर बिमारी की स्थिति में जान पर बन आती है तथा प्रार्थी अपनी फसल को भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:39:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

...डी आदि स्थान तक नही ले जा सकता है। ऐसे में प्रार्थी की उक्त उपजाऊ भूमि व्यर्थ है ...था उसका अपना परिवार चलाना दुर्भर हो रहा है।

प्रार्थी की भूमि के पश्चिमी तरफ भूमि खसरा नम्बर 1003 मुख्य सड़क से लगवा है तथा खसरा नम्बर 1003 के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 1578 व 1578/2525 व इसके दक्षिण ओर खसरा नम्बर 1596/1938 है, जिसके लगवा प्रार्थी की उक्त भूमि है। प्रार्थी की भूमि से मुख्य सड़क तक 13 फुट चौडा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थी को लगभग 10 एयर भूमि रास्ते बाबत आवश्यकता है। जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज है।

मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1003 व खसरा नम्बर 1578/2525 की दक्षिणी सीमा के तथा खसरा नम्बर 1578 व 1578/1938 की पश्चिमी सीमा के सहारे मुख्य सडक तक 13 फुट चौडा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व नक्शे में बरंग लाल से दर्शित किया गया है। प्रार्थी का रास्ते के लिए अत्यन्न आवश्यक है।

ग्राम घिनोई की डी.एल.सी.दर को मध्यनजर रखते हुए मान्य न्यायालय जो भी प्रतिकर रास्ते के बदले नियत करे प्रार्थी अदायगी हेतु तैयार है।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) खारिज किया गया था। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2016 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को की गई। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 20.02.2017 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से उभयपक्षों की मौजूदी में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर भिजवाई जावें। उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 20.02.2017 से निर्णित होकर पुनः प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिया गया। अप्रार्थीगण की तलवी की गई। तहसीलदार तहसील चौमू से पुनः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 20.02.2017 के निर्देशानुसार रिपोर्ट दिनांक 13.09.2019 प्राप्त की गई। अप्रार्थीया आचुकी देवी पत्नी स्व0 हनुमान सहाय की ओर से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित ओदश दिनांक 14.03.2016 एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित ओदश दिनांक 20.02.2017 की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु पेश किया जो स्वीकार किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति एवं वैकल्पिक रस्ता के संबंध मे तहसीलदार तहसील चौमूं से पुनः रिपोर्ट दिनांक [illegible] की गई।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार [illegible] राजी ख0न0 1596 रकबा 1.80 है0 में प्रार्थी भग[illegible]ति बागड़ा ब्राहम्ण द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:39:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय चौमूं के न्यायालय मे एल आर एक्ट की धारा 251 क के तहत रास्ता कीमतन चाहा है। ग्राम धिनोई की मुख्य आबादी से दक्षिण पूर्व खारवालियों की ढाणी में जा रहे राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते से अपने घर पर जाने हेतु ख0न0 1003, 999/2524, 1578/2525, 1578, 1596/1938 मे से 4 मीटर चौडा रास्ता चाहा है। अप्रार्थीगण द्वारा ख0न0 999 में से होकर रास्ता चाहने बाबत मौका देखा गया। एवं पाया कि ख0न0 999 के खातेदार द्वारा अपने मकान से आगे रास्ता दिया जाने पर ख0न0 999 के दो भाग होते है। जो सुसंगत नही है।

अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम टाडावास तहसील आमेर से ग्राम दुर्गा का बास तह0 आमेर जाने वाले रास्ते से होकर प्रार्थीगण के लिए रास्ते का सुझाव दिया है। जो जांच करने पर पाया कि इस रास्ते के पंहुच हेतु ख0न0 999 व ख0न0 948 में से मौके एवं रिकार्ड में रास्ता नही होने पर रास्ते का प्रस्ताव उपयुक्त नही है। ख0न0 999 मे से 38 मी0 X 4 मी0 = 152 वर्ग मीटर, ख0न0 984 में से 288 मी0 X 4 मी0 = 1152 वर्ग मीटर, ख0न0 1635, 1635/1895, 1605, 1593 में से 312 मी0 X 4 मी0 = 1248 वर्ग मीटर, यानि कुल 2552 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु लेनी पड़ेगी। यह रास्ता पूर्व से प्रस्तावित रास्ते से बहुत ज्यादा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अन्य सुझाव (विकल्प) दिये गये है। अतः 999/2524, 1003, 1578/2525, 1578, 1596/1938, में से रास्ता दिया जाना सुसंगत है।

अप्रार्थीया आचूकी देवी की ओर से ऐतराज प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 एवं मंगवाये जाने निष्पक्ष रिपोर्ट हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की सीधी बहस सुनी गई। प्रकरण में 3 बार पूर्व में मौका रिपोर्ट आ चुकी है। तहसीलदार चौमूं ने स्वयं मौका निरीक्षण कर दिनांक 29.12.2010 की रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को डिले करने की हैसीयत से प्रस्तुत होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया गया। प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

बिन्दु संख्या एक पर विचरण करने पर यह पाते है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:39:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या दो पर विचरण करने पर हम यह पाते है कि तहसीलदार चौमू द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 अनुसार प्रार्थी की जमीन पर पहुंच के अन्य विकल्प मौजूद है। अतः प्रार्थी की जोत तक पहुचने का सिर्फ चाहा गया मार्ग ही विकल्प है ऐसा नही है।

बिन्दु संख्या तीन पर विचरण करने पर हम यह पाते है कि तहसीलदार चौमू द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम टाडावास तहसील आमेर से ग्राम दुर्गा का बास तह0 आमेर जाने वाले रास्ते से होकर प्रार्थीगण के लिए रास्ते का सुझाव दिया है। जो जांच करने पर पाया कि इस रास्ते के पंहुच हेतु ख0न0 999 व ख0न0 948 में से मौके एवं रिकार्ड में रास्ता नही होने पर रास्ते का प्रस्ताव उपयुक्त नही है। ख0न0 999 मे से 38 मी0 X 4 मी0 = 152 वर्ग मीटर, ख0न0 984 में से 288 मी0 X 4 मी0 = 1152 वर्ग मीटर, ख0न0 1635, 1635/1895, 1605, 1593 में से 312 मी0 X 4 मी0 = 1248 वर्ग मीटर, यानि कुल 2552 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु लेनी पड़ेगी। साथ में संलग्न नक्शे के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम टाडावास से ग्राम दुर्गा का बास जाने वाले आम रास्ते रिकॉर्डेड से प्रार्थी भगवान सहाय की खातेदारी भूमि उत्तर दिशा की ओर रही है ना कि पूर्वी दिशा की ओर। ग्राम टाडावास से दुर्गा का बास जाने वाले आम रास्ते एवं प्रार्थी भगवान सहाय की खातेदारी भूमियों खसरा नंबर 1595, 1596, 1591/2536 के बीच में ना तो खसरा नंबर 999 के भूमि आती है, ना ही खसरा नंबर 984 की भूमि बीच में आती है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की दक्षिणी सीमा से खसरा नम्बर 1593 की सीमा तथा खसरा नम्बर 1593 की दक्षिणी सीमा से खसरा नम्बर 1605 की सीमा सटी हुई हैं, जिसके दक्षिण में आम रास्ता टाडावास से दुर्गा का बास जाने वाला जुडा है। इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा भी माना जावे तो उक्त रास्ते की लम्बाई मात्र 312 मीटर है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 999, 1002 प्रार्थी की भूमि के सटवा है जिनसे मार्ग लेने पर प्रार्थी को कम दूरी का रास्ता चाहे गए रास्ते से मिलना संभव है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी का नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रिपोर्ट सहमति के अवलोकन एवं उभय पक्षों की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह भी मत है कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जिनकी लंबाई चाहे गए मार्ग से कम है परंतु इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने पड़ोसी काश्तकार के खेत से रास्ता चाहा है प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:39:47 IST
Reason: SelfAttested

अभिषेक सुराणा
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned with CamScanner